बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :–3/अ०प्र०–1–13/2013 1619 /पटना, दिनांक :– 20.7.23

मो0 खालिद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत रेलवे गुमटी रोसड़ा से बटहा उच्च विद्यालय तक पथ निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संकल्प सं0–2284 दिनांक 20.07.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 9741 अनु0 दिनांक 08.12.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें मो0 खालिद के विरूद्ध गठित आरोप सं0–1, 4 एवं 5 को प्रमाणित होने तथा आरोप स0–2 एवं 3 को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मो0 खालिद से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–1080 अनु0 दिनांक–11.08.2021 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक–1365 दिनांक–11.08.2022 एवं पत्रांक–1958 दिनांक–16.11.2022 द्वारा स्मारित करने के बावजूद भी मो0 खालिद द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह मानते हुए कि प्रमाणित आरोपों के प्रसंग में मो0 खालिद को कुछ नहीं कहना है इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक 850 अनु0 दिनांक 27.04.2023 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1403 दिनांक 12.07.2023 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में मो0 खालिद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ब़ी) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

20/7/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–13/2013 1620 /पटना, दिनांक :– 20.7.23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@ni

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–13/2013 1620 /पटना, दिनांक :– 20.7.23

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा–6 एवं मो0 खालिद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पताः–मकान सं0–98, हारूण नगर, सेक्टर–2, रोड नं0–7, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–13/2013 1620 /पटना, दिनांक :– 20.7.23

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/7/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.i